

(भारत सरकार का उपक्रम)

एआरएमबी पटना: 2रा तल्ला, चाणक्य टॉवर, आर-ब्लॉक, पटना-800001

ई-मेल: cs8297@pnb.bank.in

चल/अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका संरचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को “जैसा है जहाँ है”, “जैसा है जो है” एवं “वहाँ जो कुछ भी है” के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

नीलामी तिथि 23.06.2026 (अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि 22.06.2026 सायं 5.00 बजे तक)

क्रं. सं.	क) शाखा का नाम ख) खाता का नाम ग) खाता नं. घ) उधारकर्ता/जमानतदार का नाम	चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि ख) 13(2) नोटिस की तिथि तक बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना की तिथि घ) कब्जा स्वरूप सांकेतिक/भौतिक/संरचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी (केवाईसी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख) ग) बोली वद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्बेन्स का विवरण
1.	क) शाखा: एस.एम.ई (389100) ख) मेसर्स रौशन एग्रीटेक प्रा. लि. ग) खाता नं. 389100IB00006475, 3891008700001737, 389100IB00006703 घ) जमानतदार/निदेशक) श्री बिजेन्द्र सिंह उर्फ बिजेन्द्र शर्मा श्रीमती लौमनी देवी श्री त्रिभुवन सिंह उर्फ त्रिभुवन शर्मा	मशीनरी एवं प्लांट सहित जमीन एवं भवन का सभी भाग एवं अंश जो श्री त्रिभुवन सिंह, पिता-बिजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती लौमनी देवी पति-त्रिभुवन सिंह (लीजकर्ता) के द्वारा मेसर्स रौशन एग्रीटेक प्रा. लि. के नाम से लीज किया गया है जिसका लीज डीड नं.-281 तिथि 19.01.2015 (दिनांक 01.02.2015 से 31.01.2050 तक 35 वर्ष के लिए लीज) एवं जो मौजा-पतुत, सर्वे थाना-बिक्रम, वर्तमान थाना-रानी तालाब, सब रजिस्ट्री ऑफिस-बिक्रम, पटना, जिला सब रजिस्ट्री ऑफिस एवं जिला-पटना में अवस्थित है जिसका थाना नं.-22, खाता नं.-559, तौजी नं.-5328, खेसरा नं.-1677, जमाबंदी नं.-88/1, 165, रकबा-64 डिसमिल। चौहद्दी: उत्तर-श्री रामायण यादव, दक्षिण-श्री छेदी सिंह, पूरब-श्री मिथिलेश सिंह, एवं पश्चिम-डगए/वर्तमान पक्की रोड।	क) 16.12.2019 ख) Rs 17720965.90 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 19.03.2020 घ) सांकेतिक	क) ₹13100000/- ख) ₹13100000/- (22.06.2026 को सायं 5.00 तक) ग) ₹50,000/-	23.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

- बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री “ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन” पोर्टल <https://baanknet.com> से होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल-आईडी और मोबाइल नम्बर का उपयोग करके पोर्टल (<https://baanknet.com>) पर पंजीकरण करें। ईकेवाईसी की प्रक्रिया डिजिटलकर के माध्यम से की जानी है। ई-केवाईसी हो जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार पोर्टल में ई-नीलामी तिथि और समय से पहले ऑनलाइन/चालान मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को अपने ई-वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केवाईसी का सत्यापन, वॉलेट में ईएमडी का स्थानांतरण और वॉलेट राशि को सम्पत्ति से जोड़ना नीलामी से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- उपरोक्त वर्णित बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन/चालान के माध्यम से किया जाएगा तथा बोलीदाताओं के ई-वॉलेट में जमा किया जाएगा। जो बोलीदाता आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे, उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://baanknet.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s PSB Alliance Pvt. Ltd. द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट 1, तीसरा तल्ला, वीआईओएस कॉमर्शियल टॉवर, वडाला टुक टर्मिनल, वडाला इस्ट, मुम्बई-400037 में है। (हेल्पडेस्क नं.- +91 8291220220 ई-मेल आईडी- supoor.baanknet@psballiance.com)। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है:-
(1) <https://baanknet.com> (2) www.pnbindia.in
- ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (<https://baanknet.com>) से इस ई-नीलामी से संबंधित बिक्री नोटिस, ई-नीलामी की नियम व शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता पुस्तिका की प्रतियां नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
- बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-वॉलेट में पर्याप्त राशि ($\geq$ EMD amount) होनी चाहिए।
- ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त आपसी बोली में ऊँची बोली लगाने की अनुमति होगी तथा बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोली लगाने वालों को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जायेगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के लिए दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद हो जाएगी।
- यह नीलामी की परिचालन सूचना, बिक्री नियमावली, ई-ऑक्शन के परिचालन से संबंधित हेल्प मैनुअल नियमों और शर्तों को ठीक से पढ़ने और उन्हें सख्ती से पालन करने की ज़िम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।
- ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई होने पर सहायता हेतु बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s PSB Alliance Pvt. Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। जिसका विवरण <https://baanknet.com> पोर्टल पर उपलब्ध है।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा सेवा प्रदाता के पास दिये गये/पंजीकृत किये गए मोबाइल नं./ई-मेल पर)।
- सुरक्षित परिसम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जायेगा।
- सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी जमा राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा एवं शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा “प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, ('Sundry-NPA/SARFAESI/Auction related' A/c 82970317118A, IFS Code-PUNB0829700)” के पक्ष में पटना में देय जारी बैंकर्स चेक/डीमांड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के रूप में भुगतान करना होगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देय, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के पास सम्पत्ति को नये सिररे से नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफॉल्टर बोली लगाने वाले के पास जम्बा राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता को बिक्री पर विचार होने के बाद बैंक को भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1 ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा एवं सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% पूर्ण राशि के जमा के समय ही टीडीएस किया जाना है।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो, या स्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या किसी भी समय नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
- बिक्री प्रमाण-पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
- सम्पत्तियों को “जैसा है, जहाँ है” एवं “जैसा है, जो है” तथा “जो कुछ भी है” के आधार पर बेचा जा रहा है।
- अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे परिसम्पत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को सन्तुष्ट करें। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
- सभी वैधानिक देय/परिचर शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर आदि सहित अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, एन्कम्बेन्स या सरकार या किसी अन्य को देय सम्पत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर सांविधिक के बारे में अपनी स्वतंत्र पृष्ठताछ करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, सम्पत्ति कर का बकाया आदि शामिल हैं।
- बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आक्समिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यावधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व-बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है।

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया निम्न वेबसाइट देखें: <https://baanknet.com> & www.pnbindia.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

दिनांक : 02.06.2026

स्थान : पटना

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)